

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अर्द्ध / संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 99/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोरेन्द्र प्रकाश वा अंचल निरीक्षक श्री गोरेन्द्र दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुपुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/20 दाग नं0 32 रकवा 02-10-12 किस्म पत्ती करीम श्री हिप्पल रविदास पिता फौजी रविदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री हिप्पल रविदास को दिनांक 30/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाहान में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

गोरेन्द्र
21/7/16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

अर्द्ध / संदेहास्पद जमाबंदी / हिप्पल रविदास पिता फौजी रविदास के दे पुत्र श्री हुजान प्रसाद उरसिन / उन्होंने साक्ष्य के रूप में हुजान प्रसाद का हिन्दी अनुवाद की प्रति समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि उक्त पुत्र E.C.L द्वारा अर्द्धगला का लिया गया है। परमाणु में इस पुत्र उनके दफ्तल में नहीं है और अर्द्धगला दिनांक 11/5/16 को एके।

Handwritten signature

गोरेन्द्र
21/7/16

30/7/16

sandha

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित। दुसरे प्रसार उचित। वहाकेन कर्मचारी
आचकेन दिनांक 21/8/16 को रके।

11/8/16
अ. अ.

11/8/16

14/6/19

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

~~अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।~~
महागामा

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।
नहीं किया गया।

21/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

~~अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।~~
महागामा

05.01.2021

अभिलेख उपस्थापित
राजस्व उपनिरीक्षक सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक,
महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के
साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका
अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अर्बेय संदेहास्पद
पंजी -II रैंक को भूमि सक्षम पदाधिकारी से
प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई. सी. एल. ECL
के अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

~~अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।~~
अ. अ.
महागामा

~~अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।~~
अंचल अधिकारी
महागामा